संख्या-32/2024/562/22-4-2024-408493

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2024

विषय:- जिला कारागार, सन्तकबीरनगर के निर्माण कार्य के उपरान्त अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-16691/नम-2/39(भाग-II)/सन्तकबीरनगर/2024, दिनांक 11.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिला कारागार, सन्तकबीरनगर के निर्माण कार्य के उपरान्त अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि रू0 618.16 लाख (रूपया छः करोड़ अट्ठारह लाख सोलह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों / प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश सं0-398/22-4-2014-48(5)/03, दिनांक 04.03.2014 तथा पुनरीक्षित स्वीकृत शासनादेश सं0-57/2018/660/22-4-18-48(5)/03, दिनांक 30.05.2018 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

(6) कार्य से संबंधित कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जाए।

(7) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा यह सुनिश्चित करने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जाए कि कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है।

(8) इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत नियमों, शर्तों, प्रतिबंधों आदि का नियमानुसार पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,18,16,000 (रुपये छह करोड़ अठारह लाख सोलह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कृष्ण कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2024/562/22-4-2024-408493, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, संतकबीरनगर।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, सन्तकबीरनगर।
(9) अधीक्षक, जिला कारागार संतकबीरनगर।
(10) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(11) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्युयक) अनुभाग-1/2
(12) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।